तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/5562/2004/भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री मोडूदान देथा, सदस्य** उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रार्थी श्री जे.के.पुरोहित वकील अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांकः.....** यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 274/2003 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान अप्रार्थीगण ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम महटोली स्थित साबिक खसरा नम्बर 352 से बने हाल खसरा नम्बरों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसी आराजी के बाबत इन्हीं वादीगण का एक वाद पूर्व से ही वाद संख्या 174/01 चल रहा है। उक्त पूर्व वाद को बिना विड्रो किये वादीगण ने यह नया वाद संख्या 281/01 प्रस्तुत कर दिया जो अनुचित है। अतः वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश दिनांक 19.10.2004 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान मैण्डेटरी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारणो का कोई विवेचन नहीं किया गया है। आलौच्य आदेश सुक्ष्म आदेश है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार पूर्व से समान आराजी के बाबत समान पक्षकारों के मध्य समान आधारों पर वाद विचाराधीन हो तो बाद का वाद स्टे किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से यह निगरानी स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/5562/2004/भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त एवं न्यायोचित आदेश है। दोनों दावों की स्थिति एवं प्रकृति में भिन्नता है जिससे प्रार्थना पत्र उचित रूप से खारिज किया गया है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करना चाहता है अतः यह निगरानी खारिज की जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश अति सुक्ष्म आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है परन्तु प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारणो का कोई विवेचन नहीं किया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के बहस कथनों का विवेचन करते हुए साक्ष्यों का विवेचन कर स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का आदेश दिनांक 19.10.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर बहस कथनों एवं साक्ष्यों का विवेचन करते हुए स्वतः स्पष्ट सकारण आदेश पारित करें। दोनों पक्षो को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दिनांक ..... को उपस्थित रहें। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	